स्पीड पोस्ट/ई-मेल संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 1530

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर (आरा)/समस्तीपुर एवं सारण, छपरा।

पटना, दिनांक- 13/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय, विपत्र विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत **CFMS 2.0 Software** से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रू0 1,00,000/-मात्र एवं रू0 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रू0)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	भोजपुर (आरा)	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के ज्ञापांक -96, दिनांक-09.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 दुर्गेन्द्र राम, पिता-सिताराम राम, आश्रित-शिमला देवी (पत्नी), ग्राम- बालुचौक, पोस्ट-नथमलपुर, थाना+प्रखंड- बड़हरा, जिला-भोजपुर।
2	समस्तीपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-403, दिनांक-17.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 अनिल कुमार राम, पिता-लखन राम, आश्रित-खुशबू कुमारी (पत्नी), ग्राम- सिरांपटटी, पोस्ट-इलमासनगर, थाना+प्रखंड- खानपुर, जिला-समस्तीपुर।
3	सारण, छपरा	01	2,00,000/-	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक-323, दिनांक-10.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 राहुल कुमार मांझी, आश्रित -ललौता देवी (माता), ग्राम-पंचपतरा, पोस्ट- मुकरेड़ा, था0+प्र0-रिविलगंज, जिला-सारण।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या--2254, दिनांक–02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष--2025–26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/–(दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/–(एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के तहत जॉच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–256/वि0 दिनांक–26.02.19, पत्रांक–732/वि0 दिनांक–31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा ।
8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
9. विभागिय अधिसूचना सं.–1/आई.एम.एल.–06/2016 श्र.सं.–3023 दि.–14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायगा।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जॉच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।
12. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1–09/2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त–सह–वरीय प्रभारी प्रशाखा–01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा–01) द्वारा किया जायेगा ।
सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरूद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 13-03-2026 18:37:36

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।